उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक A/2265 / जबलपुर, दिनांक 27/09/2017

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित भृत्य/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त (वर्गीकरण नियंत्रण अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 21 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत नियम 5(4) के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षणिक अर्हता दसवी उत्तीर्ण संबंधी शर्त को शिथिल करते हुए वाहन चालक के पद पर वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड पे रू 1900/– में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर वाहन चालक के पद पर पदोन्नत/नियुक्त किया जाता है :–

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	पदनाम	टीप
1	2	3	4
1	श्री संजय रैकवार, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर,
2	श्री विनोद रैकवार, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
3	श्री बजरंग मरावी, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
4	श्री रामश्याम कार्छी भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
5	श्री वसीम अहमद, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर

1. यह कि, वे शपथ ले कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल मे किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नही करेंगे।
3. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें उसकी सूचना रजिस्ट्री को एक माह पूर्व देनी होगी अथवा सूचना के अभाव मे एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
4. यह कि, उनकी सेवायें पूर्णतः अस्थाई हैं तथा वे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
5. यह कि, उनकी नियुक्ति इस उपबंध के साथ की जाती है कि वे किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता एवं नेत्र परीक्षा का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र का व्यय उन्हे स्वयं उठाना होगा।
6. यह कि, जब भी उन्हें माननीय न्यायधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय या उनके निवास स्थान पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने अथवा उनके साथ मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के निर्देश होंगे उनको तत्परता से पालन करना होगा।
7. यह कि, किसी भी अवकाश या सार्वजनिक अवकाश पर माननीय न्यायाधिपतिगण, रजिस्ट्रार जनरल अथवा अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देशों का तत्काल पालन करेंगे।
8. यह, उनके प्रभार में सौंपी गयी स्टाफ कार अथवा उच्च न्यायालय के अन्य वाहन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, साफ–सुथरी या सुरक्षित रखने एवं समय–समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने तथा आवश्यकता अनुसार डिस्टिल्ड वाटर बदलने आदि की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
9. यह कि, नियमानुसार कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व वाहन चालक का लायसेंस प्रस्तुत करें एवं अपने कर्तव्य के समय लायसेंस अपने पास रखे।
10. यह कि उन्हें घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्तव्य के समय किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नही करेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,

Sd/-
(मो॰ फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल
Pr

पृष्ठांकन क्रमांक A/2266/ जबलपुर, दिनाक 27/09/2017

प्रतिलिपि –

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एव 2/डी.ई./ई/आई.एल./–कम–पी.पी.एस/(एक्जाम एण्ड लेबर ज्यूडीशरी)/सतर्कता, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार ————————, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. कोर्ट मेनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. असिस्टेंट रजिस्ट्रार..............................., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
11. रिफ्रेन्स लायब्रेरियन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
12. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवा पुस्तिका/बजट/अवकाश/डी.पी.एफ उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
14. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
15. श्री संजय रैकवार, भृत्य, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
16. श्री विनोद रैकवार, भृत्य, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
17. श्री बजरंग मरावी, भृत्य, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
18. श्री रामश्याम काछी, भृत्य, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
19. श्री वसीम अहमद, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)